लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश
गौतम नगर भोपाल–462021

दूरभाष 0755–25083650, फैक्स 2583651, ई–मेल–est4-dpi@mp.gov.in

क्रमांक/स्था0–4/व्ही/17/सतर्0./2018/2253 भोपाल,दिनांक 26-9-2018 27-9-2018

आदेश

श्री दिवाकर प्रसाद द्विवेदी,सहायक ग्रेड–2,कार्यालय शासकीय कन्या सुदर्शन कुमारी उ.मा. विद्यालय,रीवा द्वारा कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण,रीवा,संभाग–रीवा में कार्यरत रहते हुये श्रीमती सरला शर्मा,प्राचार्य, शासकीय उ.मा.विद्यालय शाहपुर,जिला रीवा से प्राप्त शिकायत दिनांक 8.1.2015 में श्री प्रफूल्ल शुक्ला,प्राचार्य,शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रीवा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। श्री शुक्ला का नाम संभागीय संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण,रीवा संभाग रीवा से दिनांक 23.6.16 को अनुमोदन होने के पश्चात नस्ती पर आगे कोई पत्राचार नही करने एवं नस्ती को लंबित रखने पर श्री द्विवेदी को प्रथम दृष्टया उनके दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही परिलक्षित होने से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक/स्था0–1/सर्त/सी/वि.स./बजट सत्र/2018/रीवा/1115, दिनांक 6.6.2016 के द्वारा निलंबित किया गया।

श्री दिवाकर प्रसाद द्विवेदी के निलंबन पश्चात उन्हें संचालनालय के पत्र क्रमांक/स्था0–4/व्ही/सर्त./2018/1804, भोपाल, दिनांक 19.7.18 के द्वारा आरोप पत्र इत्यादी जारी किये। उक्त आरोप पत्र पर श्री द्विवेदी द्वारा दिनांक 30.7.2018 को संचालनालय में प्रस्तुत प्रतिवाद संतोषप्रद नही होने के कारण, उनकी दिनांक 25.9.2018 को व्यक्तिगत सुनवाई की गई।

श्री दिवाकर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद एवं समक्ष में प्रस्तुत कथन पूर्णतः संतोषप्रद न होकर उनका कृत्य शासकीय कार्य में लापरवाही का द्योतक होकर म.प्र.सिविल सेवा(आचरण) नियम 1965 के नियम–3 का उल्लघंन पाया गया।

अतएव श्री दिवाकर प्रसाद द्विवेदी, सहायक ग्रेड–2 के विरूद्व मध्यप्रदेश सिविल सेवा(वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के अंतर्गत एक वेतनवृद्वि अंसचयी प्रभाव से रोकी जाकर शास्ति अधिरोपित की जाती है तथा उन्हें निलंबन से बहाल कर उनकी पदस्थापना कार्यालय शासकीय उ.मा.विद्यालय,खटखरी,विकास खंड हनुमना, जिला रीवा में की जाती है।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/स्था0–4/व्ही/17/सतर्0./2018/2254 भोपाल,दिनांक 26-9-2018 27-9-2018

प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय–भोपाल।
2– कलेक्टर, जिला रीवा,मध्यप्रदेश।
3– जिला कोषालय अधिकारी,जिला रीवा।
4– संभागीय संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण,रीवा संभाग रीवा।
5– जिला शिक्षा अधिकारी,जिला रीवा।
6– उप संचालक(स्था0–1) स्थानीय,लोक शिक्षण संचालनालय,म.प्र.।
7– प्राचार्य,शासकीय उ.मा.विद्यालय,खटखरी,विकास खंड हनुमना,जिला रीवा/प्राचार्य,शासकीय कन्या सुदर्शन कुमारी उ.मा.विद्यालय,रीवा।
8– संबंधित श्री दिवाकर प्रसाद द्विवेदी,सहायक ग्रेड–2,कार्यालय शासकीय कन्या सुदर्शन कुमारी उ.मा.विद्यालय,रीवा।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश